न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 2004 / 1785 / जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, फलौदी, जिला जोधुपर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. नूरदीन पुत्र अली खॉ
2. जूसब पुत्र शाह मौहम्मद
3. नसीर खॉ पुत्र इस्माईल खॉ
   जाति मुसलमान निवासी देगावडी तहसील फलौदी जिला जोधपुर
4. ग्राम पंचायत, जाम्बा जरिये सरपंच

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा अध्यक्ष
श्री नत्थूराम सदस्य

उपस्थित

श्रीमती पूनम माथुर राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री एस.के.पुरोहित, श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स सं. 1 से 3
रेस्पोन्डेन्ट्स सं.4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक : 18–7–19

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर (जिसे आगे **''प्रथम अपीलीय प्राधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 56 / 2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–02–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे **''काश्तकारी अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोन्डेन्ट्स सं. 1 से 3 / वादीगण के द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 व 92 काश्तकारी अधिनियम अपीलांट व ग्राम पंचायत जाम्बा के विरूद्व सहायक कलक्टर, फलौदी (जिसे आगे **"विचारण न्यायालय"** कहा जायेगा) के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण की श्यामलाती खातेदारी की कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 200 बीघा सरहद मौजा देगावडी तहसील फलौदी में स्थित है, उक्त गांव जागीर का गांव था जिसके जागीरदार रेवतसिंह पुत्र जोगसिंह, विजयसिंह पुत्र मूलसिंह थे, जिनसे भूमि वादीगण के पूर्वजों ने काश्त पर ली थी, वे पूर्वजों के समय से ही आराजी पर काबिज है। पैमाईश सम्वत् 2011 में हुई थी और उक्त भूमि को जागीरदार के मकबूजा में दर्ज कर दी जबकि खसरा नम्बर 18 रकबा 200 बीघा पर वादीगण का सैटलमेन्ट पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है। इसलिए उन्हें स्वतः ही खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाते है। उक्त 200 बीघा का नामान्तरकरण अंतर्गत धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 30.06.60 को वादीगण के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 17 द्वारा हो चुका है तथा उनसे बिगोडी भी वसूल की है जिन पर परिवार के साथ निवास कर रहा है तथा नामान्तरकरण संख्या 17 के जरिये खातेदारी दी है तथा नामान्तरकरण सं. 19 के द्वारा कमरेखाँ वगैराह को 127.10 बीघा का खातेदारी अधिकार दिए थे, जो अभी तक जमाबन्द में दर्ज है। कलक्टर, जोधपुर व उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा बिना कोई जाँच किए व बिना सुनवाई का मौका दिए व नोटिस दिए बगैर ख.नं. 18 रकबा 200 बीघा गौचर दर्ज कर दी है, जो विधिविरूद्व है। वाद का नोटिस मिलने पर तहसीलदार, फलौदी ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया व कथन किया कि ख.नं. 18 रकबा 200 बीघा ही नहीं बल्कि ख.नं. 18 रकबा कुल 659.10 बीघा है। इसमें से 532 बीघा भूमि को, जिला कलक्टर, जोधपुर ने अपने आदेश 08.12.66 के द्वारा चारागाह घोषित किया है और उक्त भूमि ग्राम पंचायत में

चारागाह दर्ज है व वाद को खारिज करने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय के द्वारा पक्षकारों की प्लीडिंग पर तीन तनकीयॉ बनाई। तत्पश्चात् पक्षकारों की साक्ष्य लेकर व बहस सुनकर वाद को अपने निर्णय दिनांक 27.11.2001 के द्वारा खारिज कर दिया जिसके विरूद्व प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर कैम्प जोधपुर के पेश की गई, जिसे उनके द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपील को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2004 के द्वारा स्वीकार किया एवं सहायक कलक्टर, फलौदी का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2001 को अपास्त कर दिया तथा ख.नं. 18 मिन 200 बीघा का खातेदार काश्तकार रेस्पोन्डेन्ट्स/वादीगण का घोषित करते हुए राजस्थान सरकार अपीलांट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्ड़ल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक महोदया ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वादीगण द्वारा अपने वाद में काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय बहैसियत टीनेन्ट काबिज काश्त होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था जिसके बिना खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। विवादित भूमि चारागाह भूमि थी जिस पर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इन्होंने आगे कथन किया कि रेस्पो0/वादीगण का सम्वत 2012–2015 तक कोई कब्जा काश्त नहीं था जो प्रदर्श–1 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012–2014 पर दर्ज नोट से भी सिद्व है। अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजी साक्ष्य, जमांबदी प्रस्तुत की थी उसमें 127.10 बीघा भूमि कमरेखॉ वगै0 के नाम दर्ज थी व शेष भूमि चारागाह दर्ज थी जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं था। वादीगण के पक्ष में धारा 15 व 19 काश्तकारी अधिनियम के

अंतर्गत भरा गया नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध था क्योंकि यह नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा भरा गया था। इन्होंने अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय अपास्त करने एवं विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रखने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का समुचित विवेचन विश्लेषण नहीं किया और बिना किसी ठोस विधिक स्थिति के वादीगण का वाद खारिज कर दिया था जो न्यायोचित नहीं था। वादीगण काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से ही काबिज काश्तकार टीनेन्ट की हैसियत से थे जिससे कानूनी प्रभाव से ही वे खातेदार हो चुके थे। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन करते हुए काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से टीनेन्ट की हैसियत से काबिज काश्त मानते हुए वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत है। इन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 226 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन अपील में सबसे महत्त्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि वादीगण का विवादित भूमि ग्राम देगावडी तहसील फलौदी ख.नं. 18 मिन रकबा 200 बीघा पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से कब्जा काश्त है या नहीं तथा इस आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है या नहीं?

वादीगण द्वारा इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012–2014 प्रदर्श–पी–1, खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–2023 प्रदर्श–पी–2, खसरा गिरदावरी सम्वत 2024–2025 प्रदर्श–पी–3, खसरा गिरदावरी सम्वत

2026–2029 प्रदर्श–पी–4, खसरा गिरदावरी सम्वत 2034–2039 प्रदर्श–पी–5 प्रस्तुत की है। साथ ही जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2036–2039 प्रदर्श–पी–6, जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2032–2035 प्रदर्श–पी–7, जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2020–2023 प्रदर्श–पी–8, जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2045–2048 प्रदर्श–पी–9 प्रस्तुत की है। इसके अलावा नामान्तरकरण संख्या 17 प्रदर्श–पी–10 व 19 प्रदर्श–पी–11 प्रस्तुत किये है। इसके अलावा नजरी नक्शा, गिरदावरी स्लीप, खसरा परिवर्तनशील आदि दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। वादीगण ने मौखिक साक्ष्य गवाह बयान पीडब्ल्यू–1 से पीडब्ल्यू–8 करवाये है जिन्होंने सैटलमेन्ट से पूर्व वादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है परन्तु जहॉ कोई साक्ष्य दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता हो उस साक्ष्य को दस्तावेज द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया जाये तो उपरोक्त दस्तावेजों में से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012–2014 प्रदर्श–पी–1 है क्योंकि यह दस्तावेज काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ होने के समय का है जबकि शेष दस्तावेज उसके पश्चात्वर्ती दस्तावेज है। **खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012–2014 प्रदर्श–पी–1 में नोट अंकित है कि "खसरा नम्बर 18 की नकली दी गई है। सम्वत् 2012–2015 तक काश्त दर्ज नहीं है इसका केस बनाकर दिया गया है।"** इस नोट से यह स्पष्ट है कि वादीगण का यह कथन प्रमाणित नहीं होता है कि विवादित भूमि पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय कब्जा काश्त था। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त आधार पर वाद खारिज किया है परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह माना है कि प्रदर्श–1 से 5 नकल खसरा गिरदावरियॉ सम्वत् 2012 से 2039 की पेश की है जिनमें विवादित आराजीयत पर वादीगण का कब्जा अंकित है एवं प्रदर्श–6 से 9 क्रमशः जमाबंदी सम्वत् 2036–39, 2032–35, 2020–23 व 2045–48 की नकलें है जिनसे प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2020–23 के अनुसार विवादीत आराजी वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि दर्ज है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय का दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012–2015 है तथा इस दस्तावेज में अंकित नोट के अनुसार सम्वत् 2012–2015 तक काश्त दर्ज नहीं है। यहॉ यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय या इससे पूर्व की कोई जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है जिसमें कि वादीगण का नाम दर्ज हो।** इसी प्रकार पश्चातवर्ती दस्तावेजों के आधार पर कब्जा काश्त सिद्ध होने पर भी वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

8. प्रकरण में इस बिन्दु पर भी विचार किया जाता है कि वादीगण के नाम काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 30.10.60 जिससे वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की गई है व जमाबंदी में भी वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुई है तथा बाद में गोचर दर्ज हुई है, आदि तथ्यों के आधार पर प्रकरण की क्या स्थिति बनती है।?

नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 30.10.60 द्वारा सरपंच द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार खातेदारी प्रदान की है। प्रदर्श–पी–25 जो तहसीलदार फलौदी का पत्र क्रमांक 703 दिनांक 25.014.91 है, के अनुसार म्यूटेशन नम्बर 12 से 23 व 27 व 28 सरपंच द्वारा तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त करने चाहिए का विवरण है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि एसडीओ साहब फलौदी के आदेश दिनांक 19.05.79 के अनुसरण में म्यूटेशन नम्बर 17 को 200 बीघा भूमि हटा दी गई व शेष 532 बीघा गै0मु0 गोचर जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 08.12.66 मुकदमा नम्बर 39 / 66 को नोट लगाया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सं. 17 के द्वारा काश्तकारी अधिनिमय की धारा 15 के अंतर्गत सरपंच के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जबकि सरपंच इस हेतु सक्षम नहीं थे। इस प्रकार यह नामान्तरकरण

प्रारम्भ से ही शून्य एंव अवैध है व इस आधार पर प्राप्त खातेदारी अधिकार अवैध है।

9. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादीगण काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ होने के समय कब्जे काश्त के संबंध में अपना वाद प्रमाणित नहीं कर पाये है व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा नामान्तरकरण संख्या 17 द्वारा प्राप्त खातेदारी अधिकार प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है क्योंकि इसके द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सरपंच द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये है जो सक्षम स्तर से प्रदत्त नहीं थे।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राज्यपक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन आदेश 06.02.2004 निरस्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27.11.2001 यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष